अध्याय 17

अन्य उपयोगी जानकारी

[धारा 4 (1) (बी) (XV!)]

कृपया उन अन्य जानकारी या प्रकाशनों का विवरण नीचे दें जो प्रासंगिक है। या नागरिकों के उपयोंग के है।

www.mp education portal एवं विमर्श पोर्टल

https://www.vimarsh.mp.gov.in पर प्रदर्शित है।

निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना

1. निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना :– निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना वर्ष 2004– 05 से संचालित की जा रही है। निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना अंतर्गत निर्धारित मापदण्ड अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत विद्यार्थी जो कि शासकीय विद्यालयों में कक्षा 06 वीं एवं कक्षा 09 वी में अध्ययनरत है, तथा वह जिस ग्राम का निवासी है उस ग्राम में शासकीय माध्यमिक/हाईस्कूल संचालित नहीं है तथा वह अध्ययन के लिए किसी अन्य ग्राम/शहर के शासकीय स्कूल में जाता है, उसे निःशुल्क साइकिल वितरण योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है। इस योजना का लाभ छात्र–छात्रा को कक्षा 06 एवं 9 वीं में प्रथम प्रवेश पर एक ही बार मिलेगा अर्थात कक्षा 06 एवं 9 वीं में पुनः प्रवेश लेने पर उसे साइकिल की पात्रता नहीं होगी।

2. ऐसे मजरे/टोले जिनकी दूरी विद्यालय से 2 कि.मी. या इससे अधिक है तो ऐसे मजरे टोले से विद्यालय में आने वाले छात्र–छात्राओ को भी साईकिल दी जावेगी।

3. इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कन्या छात्रावास में अध्ययनरत छात्राऐं जिनकी शाला छात्रावास से 2 कि.मी या अधिक दूरी पर है, को भी साइकिल प्रदाय की जावेगी। ये साइकिलें छात्रावास को आवंटित की जायेगी ओर छात्रावास में रहने वाली बालिकाऐं इनका प्रयोग कर सकेंगी। छात्रावास छोड़ते समय साइकिलें छात्रावास में ही जमा करना आवश्यक होगा।

निःशुल्क साईकिल प्रदाय योजना अंतर्गत वर्ष 2022–23 में लगभग 5.40 लाख पात्र छात्र छात्राओ को सायकिल वितरण की गई है।

वर्ष 2022–23 निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना अंतर्गत भोपाल एवं इन्दौर जिले में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में साईकिल क्रय हेतु पात्र छात्र–छात्राओ को राशि रूपये 4000 के ई–रूपी वाउचर जारी किये गये।

राज्य शासन द्वारा निर्णय अनुसार वर्ष 2023–24 में निःशुल्क साईकिल प्रदाय योजना अंतर्गत पोर्टल के माध्यम से चिन्हित कक्षा 6वीं एवं 9वीं के लगभग 4.70 लाख पात्र छात्र–छात्राओं को सायकिल क्रय हेतु राशि रू 4,500/– देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत दिसम्बर 2023 तक 387169 पात्र हितग्रहियों को लाभान्वित किया गया।

2. सुपर 100 योजनाः–

सुपर–100 योजना अन्तर्गत प्रदेश के शासकीय विद्यालयों के मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 10 वीं बोर्ड परीक्षा में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के स्थान पर ''प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में कक्षा 10 वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी'' को चयन परीक्षा में सम्मिलित हेतु पात्र माना जायेगा । परीक्षा में सम्मिलित होने के उपरांत मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित कक्षा 10 वीं की परीक्षा मे उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा । कक्षा 10 वीं की परीक्षा में विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर चयन निरस्त माना जाएगा। चयनित विद्यार्थियों को योजनान्तर्गत कक्षा 11वीं एवं 12वी में शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भोपाल/शासकीय मल्हाराश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इन्दौर में अध्ययन के साथ–साथ देश के प्रख्यात व्यावसायिक पाठ्यक्रमों यथा इंजीनियरिंग/मेडीकल/क्लेट आदि में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश हेतु आवश्यक कोचिंग प्रदाय की जाने की योजना है।

शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय भोपालः– वर्ष 2023–24 कक्षा 11 एवं कक्षा 12 में जे.ई.ई में 102, नीट हेतु 102 एवं क्लेट हेतु 100 विद्यार्थी प्रविष्ट होकर कोचिंग प्राप्त कर रहे है।

शासकीय मल्हाराश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इन्दौरः– वर्ष 2023–24 में कक्षा 11 एवं कक्षा 12 वी जे.ई.ई में 99, नीट हेतु 100 एवं क्लेट हेतु 97 विद्यार्थी प्रविष्ट होकर कोचिंग प्राप्त कर रहे है।

3. शा. हायर सेकेन्डरी स्कूलों में प्रथम स्थान पाने वाली बालिकाओं एंव बालक को निःशुल्क ई–स्कूटी/आईसीईएस प्रदाय योजना (योजना क्र 1139)

प्रदेश मे संचालित शा. हायर सेकेन्डरी स्कूलों में प्रथम स्थान पाने वाली बालिकाओं एंव बालक को निःशुल्क ई–स्कूटी/आईसीईएस प्रदाय किये जाने हेतु नवीन योजना क्र 1139 सत्र 2022–23 सें संचालित की जा रही हैं। इस योजना अंतर्गत ऐसे छात्र–छात्राऐं पात्र होगी जो प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग अन्तर्गत संचालित शासकीय हायर सेकेण्डरी शाला में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर माध्यमिक शिक्षा मण्डल (एम.पी.बोर्ड) की हायर सेकेण्ड्री (कक्षा 12वीं) में किसी भी संकाय (समस्त संकाय को सम्मिलित कर) में अपनी शाला में नियमित परीक्षार्थी के रूप में टॉप किया हो को पात्रता होगीः–

- विद्यार्थी द्वारा आईसीईएस (मोटरराईज्ड) का चयन किया जाता है तो इसके लिए शासन द्वारा अधिकतम राशि रू. 90,000/–(राशि नब्बे हजार मात्र) प्रदान की जावेगी । उक्त राशि में वाहन की Ex-Showroom Price, Registration, Insurance, Accessories Etc. सम्मिलित है ।
- विद्यार्थी द्वारा ई–स्कूटी का चयन किया जाता है तो इसके लिए शासन द्वारा अधिकतम राशि रू. 1,20,000/– (राशि एक लाख बीस हजार मात्र) प्रदान की जावेगी । उक्त राशि में वाहन की Ex-Showroom Price, Registration, Insurance, Accessories Etc.सम्मिलित है ।
- वर्ष 2022–23 में योजना अन्तर्गत 7790 पात्र छात्र–छात्राओं को ई–स्कूटी/आईसीईएस से लाभान्वित किया गया है , इस हेतु राशि रू. 80.00 करोड व्यय कि गई है।